तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हु तामील में
28/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० सं 1,2. कि तामिल सम्यक रूप से हो चुकी है। बावजूद तामिल अनुपस्थित। बार - बार आवाज दिलाई गई जिसके बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः रेस्पो० के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख० नं० 123 रकबा 0.13 है व ख० नं० 124 रकबा 0.55 है राजस्व ग्राम व पटवारी हल्का भागवाडी तहसील नीमकाथाना में स्थित है जो रेस्पो० सं 2 के नाम से हिस्सा 5/68 दर्ज है। रेस्पो० सं 2 के नाम दर्ज हिस्सा 5/68 सम्पूर्ण से अपीलान्ट ने दिनांक 11-1-2021 को जरिए विक्रय पत्र क्रय किया है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण सं 349 के अवलोकन से पाया गया कि नामा० पर पटवारी पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई है कि उक्त विक्रय पत्र मुखौल श्रेणी का है। उक्त मुखौल को ... [illegible] ... में नहीं लिया जा ... [illegible] ... पत्र के ख० नं० 123 में मौके ... [illegible] ... बने हुए हैं ... रिपोर्ट गिरदावर हल्का द्वारा माना ... र-	

(आशीष कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम

अंकित किया कि नामान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 25-4-2022 को नामान्तरण जारी कर दिया गया है। जिस बाबत अपीलान्ट को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। इस आधार पर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा किया गया आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत किया गया है। जबकि जिन बिन्दुओं के आधार पर नामान्तरण जारी किया गया है जिस सम्बंध में पूर्व में मौका देखना चाहिए था जो नहीं देखा गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन करने पर पाया गया कि भूमि वर्गीकरण के अनुसार भूमि चाही I व बारानी I दर्ज है। उक्त भूमि का सम्पूर्ण रकबा जो रेस्पो नं॰ 2 के नाम दर्ज था जो क्रय किया गया है। भूमि का विक्रय क्रेता व विक्रेता दोनों की सहमति से हुआ है। मौके पर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि में किया जा रहा है एवं मौके पर कृषि भूमि नहीं थी तो विधिमान्य नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी। जो तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा नहीं कि गई है। एवं उक्त कार्यवाही नियमों के विपरीत कि गई है।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मियाद बाबत जो धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो न्यायहित में स्वीकार किया [illegible]

अपील [illegible] तथ्यों [illegible] अपील स्वीकार [illegible] आधार पर [illegible] प्रतीत होता है।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III (प्रारूप संख्या–3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत.................................मुकाम.................................

.................................बनाम.................................

किस्म मुकदमा.................................नम्बर.................................वर्ष.................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा नामान्तकरण सं 349 व कृषि ख० नं० 123, 124 तन ग्राम आगवाड़ी आदेश दिनांक 25-4-2022 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 11-1-2021 के अनुसार नामान्तकरण पुनः दर्ज कर फैसला करें। निर्णय कि पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावे। निर्णय सुना पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner